



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 14, 2010/अग्रहायण 23, 1932

No. 673]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 2010/AGRAHAYANA 23, 1932

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन और डयरो विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 974(अ).—पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का 27) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ होने की तारीख.—(1) इन नियमों का पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण (टीकाकरण प्रमाणपत्र का प्रपत्र पोस्ट मार्टम परीक्षण और पशुशव के निपटारे की प्रक्रिया) नियम 2010 कहा जाए।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ये प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.—(1) इन नियमों में यदि अन्यथा संदर्भित न किया जाए,—

(क) "अधिनियम" का आशय है पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का 27);

(ख) "प्रपत्र" का आशय है इन नियमों के परिशिष्ट प्रपत्र;

(ग) धारा का आशय है, अधिनियम की एक धारा।

(2) इन नियमों में प्रयोग किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें स्पष्ट नहीं किया गया है परन्तु अधिनियम में स्पष्ट किया गया है, उनका अर्थ क्रमशः वही होगा, जैसा कि अधिनियम में बताया गया है।

3. टीकाकरण प्रमाणपत्र का प्रपत्र.—(1) निदेशक द्वारा नियंत्रित क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र या संक्रमित क्षेत्र में अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत पशुओं को टीकाकृत करने और टीकाकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम संस्थानों या एजेंसियों और व्यक्तियों को अधिसूचित किया जाए।

(2) टीकाकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उप-नियम (1) के अंतर्गत निदेशक द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों द्वारा पशु मालिक को तत्काल टीकाकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाये परन्तु जिसमें टीकाकरण की तारीख से तीन सप्ताह से अधिक नहीं हुआ हो और टीकाकरण का सही रिकार्ड बनाए रखा जाए।

(3) कुक्कुट के अलावा पशुओं के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र को प्रपत्र "क" में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(4) कुक्कुट के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र को प्रपत्र "ख" में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(5) टीकाकरण प्रमाणपत्र द्विभाषी हो जिसमें से एक स्थानीय भाषा हो।

4. परीक्षण और पोस्ट मार्टम करने की प्रक्रिया.—(1) पशुचिकित्सक या पशुचिकित्सा अधिकारी को

(क) उपयुक्त रूप से प्रकाश युक्त स्थिति में जांच-पड़ताल और पोस्ट मार्टम का प्रबंध किया जाए और जो किसी एकान्त स्थान पर या मालिक के परिसर में या आसपास के स्थान पर हो, सक्षम अधिकारी जैसा भी उपयुक्त समझे।

(ख) अनुसूचित अधिसूचित रोग की पुष्टि करने के लिए उपयुक्त नमूना एकराकरण का प्रबंध करें और नमूनों को उपयुक्त प्रयोगशाला में भेजें।

(ग) पशु शव के निपटारे का प्रबंध जैसा कि इन नियमों के नियम 5 में विनिर्दिष्ट है।

(घ) उस परिसर और स्थान को संक्रमण मुक्त करना जहां पर पोस्ट मार्टम जांच आयोजित की गई थी।

(ङ) पशु मालिक को प्रपत्र "ग" में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की प्रति ब्रदान करें और यदि पशुचिकित्सक या पशुचिकित्सा अधिकारी को किसी अनुसूचित अधिसूचित रोग के कारण मृत्यु हुई है तो निदेशक को सूचित करें।

(2) यदि मृत्यु का कारण संभावित रूप से एन्थेक्स है तो कोई पोस्ट मार्टम न किया जाए।

5. किसी अनुसूचित अधिसूचित रोग से संक्रमित पशु शव का निपटारा.—(1) किसी अनुसूचित अधिसूचित रोग से मृत्यु हुए किसी पशु शव को, या धारा 25 के अंतर्गत मारे गए पशु शव को, पशु मालिक शवाधान, भस्मीकरण द्वारा पशु शव रेंडरिंग का निपटारा करें।

(2) पशुचिकित्सक द्वारा शवाधान या भस्मीकरण में पर्यवेक्षण किया जाए, जो पशु मालिक के परिसर में या आसपास के स्थान पर किया जाए, जैसा भी सक्षम अधिकारी उपयुक्त समझे।

(3) सक्षम अधिकारी, आवश्यकता होने पर, किसी सुरक्षित वाहन में निपटारे के स्थान तक संक्रमित पशु शव को परिवहन का प्रबंध करे और मृत पशु को ले जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहन को वाहन मालिक द्वारा उपयुक्त तरीके से सफाई और संक्रमण मुक्त किया जाए।

(4) पशुचिकित्सक या पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पशु शव का निपटारा निम्नलिखित प्रक्रिया से किया जाए नामतः :—

(क) शवाधान.—(i) दफन करने के लिए गड्ढे का आकार पशु के आकार से बड़ा होना चाहिए जिसमें कि दफनाए जाने वाले पशुशव के सभी अंग गड्ढे के अन्दर हों और गड्ढे को बंद करने के लिए कम से कम एक मीटर मिट्टी से ढकी जाए।

(ii) मिट्टी भरने से पहले दफनाए जाने वाले गड्ढे के नीचे पांच मे.मी. और मिट्टी भरने से पहले पशुशव के ऊपर पांच से छह इंच का घरल होना चाहिए।

(iii) दफनाने के लिए गड्ढा जलक्षेत्र से कम से कम पच्चीस मीटर दूरी पर और कुआं, बोरवेल या पंचजल के धारा के रूप में उपयोग किए जाने वाले जल प्रपात से दो सौ पचास मीटर की दूरी पर हो।

(iv) दफन करने के लिए गड्ढा मौसमी जल भराव या बाढ़ सम्भावित क्षेत्र में नहीं हो।

(v) अधिक संख्या में दफनाने का क्षेत्र मानव आवास से कम से कम दो सौ पचास मीटर दूरी पर होना चाहिए।

(ख) भस्मीकरण.—(i) भस्मीकरण को तब तक जारी रखा जाए जब तक पशु शव राख में परिवर्तित न हो जाए।

(ii) भस्मीकरण का स्थान मानव आवास से कम से कम दो सौ पचास मीटर दूरी पर होना चाहिए।

(ग) रेंडरिंग.—(i) रेंडरिंग मात्र उसी निर्धारित स्थान पर उन एजेंसियों और संस्थानों द्वारा किया जाना चाहिए जिनका पाय रेंडरिंग संयंत्र प्रचालित करने के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति हो।

(ii) संक्रमित पशु शव के निपटारे के लिए रेंडरिंग प्रक्रिया का प्रयोग करने वाले संस्थानों या एजेंसियों को एकत्रित रूप से राख का पूरा-पूरा रिकार्ड रखा जाए।

(iii) रेंडरिंग उत्पाद को पशु आहार के रूप में उपयोग न किया जाए।

6. यदि इन नियमों के भाव के संबंध में कोई शंका हो तो उस मामले को निर्णय के लिए पशुपालन आयुक्त, पशुपालन विभाग और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को संदर्भित किया जाए।